

# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

C.C.A. अपीलवाद सं०-८६/२०२४

अयूब गियाँ

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

07.06.2024

अपीलकर्ता - अनुपस्थित।


प्रस्तुत C.C.A. अपीलवाद, न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा C.C.A. वाद संख्या-०१/२०२४ में दिनांक १५.०३.२०२४ को पारित आदेश के विरुद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका का अवलोकन किया तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना।

अभिलेख पर उपलब्ध अपीलकर्ता के याचिका के अवलोकन एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने से यह स्पष्ट है कि जिला दण्डाधिकारी, सिवान का आदेश दिनांक ०६.०६.२०२४ तक ही प्रभावी रहा है। वर्तमान में उनका आदेश प्रभावहीन (Infructuous) हो चुका है। ऐसी स्थिति में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रस्तुत वाद को चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

तदनुसार, वाद की कार्रवाई को समाप्त करते हुए वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित



अयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।



आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।